संख्याः–शिक्षा–एच(21)ए(1)पी.एस–16/2017–सामान्य निर्देश
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला–171001 — 12 अप्रैल 2018

सेवा में

समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

विषयः– स्कूली बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सचिव, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश से प्राप्त पत्र संख्याः ई0डी0एन0–सी0–ए0(1)2/2018 दिनांक 10 अप्रैल 2018 के अर्न्तगत इस निदेशालय के घ्यान में लाया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुडे बहुत से मामले सरकार के घ्यान में आये है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–अपने कार्यक्षेत्र में संचालित सरकारी एव निजी स्कूलों मे पढ रहे छात्रो की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेत निम्नलिखित बिन्दूओं पर आगामी कार्यवाही करे।

1. **सरकारी स्कूलो के भवनो सम्बन्धी मुद्देः–**

i) कुछ भवनो की स्थिति सही नहीं है उन्हे असुरक्षित (unsafe) घोषित करने की प्रकिया में तेजी जाई जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था में सहायता दें।

ii) भवनो के चारो और दीवार लगवाने की प्रकिया विभाग ने शुरू कर रखी है जहां पर कोई कमी रह गई है उसमें आप सहयोग अपेक्षित है।

iii) बिना अवरोध के शिक्षा के लिए स्कूलों में ramp की व्यवस्था की गई है। कृप्या यह भी सुनिश्चित करवा लें कि यह पूरी तरह से निरापद है।

2. **स्कूलों के भवनो के समीप शराब ठेके या किसी भी अन्य प्रकार से नशीले पदार्थ इत्यादि पर भी चौकसी अनिवार्य है।**

3. **छूआछूत जैसी छूटपुट घटनायें अभी भी घटित हो रही है। स्थानीय निकाय RTE Act के तहत वैधानिक तौर पर जिम्मेवार है। विभाग ने मिड–डे–मील में बच्चों को बिठाने की व्यवस्था की है। आपकी प्रभावी निगरानी इन सब बातो पर अपरिहार्य है।**

4. **बच्चों को लाने ले जाने वाले साधनः–**

देश के सर्वोच न्यायालय और प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशो का अनुपालना अपरिहार्य है। बच्चों को वाहनो में ठूस–ठूस कर भरने की प्रवृति, यातायात नियमो को ताक पर रखकर बाहनों का चलाना और बाहनो का नियमो के प्रतिकुल होना सब किसी न

किसी दूर्घटना का कारण है। इन प्रवृतियों पर भी रोक लगाई जाये।

अतः उक्त बिन्दूओ के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप स्कूली छात्रों की सुरक्षा के हितो को घ्यान में रखते हुए समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यो/मुक्ष्याध्यापको को छात्रों को स्कूल लाने व ले जाने वाले वाहनो में **overloading** न करने तथा यातायात नियमो का पालन करने के निर्देश जारी करे तथा स्कूली छात्रो की सुरक्षा के सन्दर्भ में उक्त बिन्दूओ की अनुपालना रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करे।

सं0 शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि0)
हिमाचल प्रदेश।

पृश्ठांकन संख्याः सम्   दिनांकः शिमला– 171001, 12 अप्रैल, 2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्क कारवाई हेतु प्रेशित हैः

1. सचिव, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः ई0डी0एन0–सी0–ए0(1)2/2018 दिनांक 10 अप्रैल 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. अधीक्षक ग्रेड–1, भवन एवं पैन्शन शाखा शिक्षा निदेशालय उच्चतर को उक्त कम संख्या 01 में जारी निर्देशो के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवही करने हेतु प्रेषित है।
3. तकनीकि अधिकारी, कम्पयुटर शाखा, शिक्षा निदेशाला उच्चतर को विभागिय वैबसाईट पर चढाने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नस्ति ।

सं0 शिक्षा निदेशक उच्चतर (महावि0)
हिमाचल प्रदेश।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि०प्र०
12 APR 2018